

प्रेस-नोट

आज दिनांक 28.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खागा महोदय एवं थानाध्यक्ष किशनपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी चौकी पहाड़पुर उ०नि० संजय सिंह मय हमराहियान के रात्रि गश्त में मामूर था कि जरिये द्वारा कि मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पंचायत भवन गोदौरा के पास से अभियुक्त अजीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र ननका सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कुल्ली थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ व जामा तलाशी से उक्त व्यक्ति के पास एक एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज मिला। अभियुक्त अजीत सिंह उर्फ गोलू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज को हिरासत पुलिस में लेकर अभियुक्त अजीत सिंह उर्फ गोलू उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 106/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मय माल के माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

- (1) उ०नि० संजय सिंह, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (2) उ०नि० शिशिर कुमार सिंह, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (3) का० तपेन्द्र कुमार बघेल, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (4) का० सर्वेश कुमार यादव, थाना किशनपुर, फतेहपुर
- (5) का० अमित दुवे, थाना किशनपुर, फतेहपुर

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- (1) मु०अ०सं० 177/2009 धारा 376/354/506 भादवि आरोप पत्र सं० 102/09 दि० 09.11.09 थाना खखरेरू
- (2) मु०अ०सं० 142/2011 धारा 457/380/411 भादवि आरोप पत्र सं० 88/11 दिनांक 05.07.11 थाना खागा
- (3) मु०अ०सं० 109/2017 धारा 457/380/411 भादवि आरोप पत्र सं० 64/2017 दिनांक 29.09.17 थाना खखरेरू
- (4) मु०अ०सं० 106/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर

थाना किशनपुर, जिला पहाड़

फतेहपुर

थाना कार्यालय

